

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/1996

जयपुर, दिनांक 10/5/17

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.04.2017 द्वारा नवनियुक्त निम्नलिखित वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या- 4 में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम/पदस्थापन स्थान	मेरिट क्रमांक	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	2.	3.	4.
1.	डॉ० दीपक माहेश्वरी, मेडिकल कॉलेज, कोटा	13	दिनांक 05.10.2017 तक
2.	डॉ० मोनिका जैन, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	58	दिनांक 05.10.2017 तक

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हों।

आज्ञा से,



(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर/कोटा।
5. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/1996

जयपुर, दिनांक 10/5/17

डॉ० हेमलता सैनी पत्नी  
श्री सुरेश कुमार सैनी,  
जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर।

विषय:- वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पर पर नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण काल में  
अभिवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण काल में नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 06 माह तक ही अभिवृद्धि की जा सकती है, इससे अधिक समय के लिए वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है।

भवदीय



(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/1996

जयपुर, दिनांक 10/5/17

डॉ० भारती पालीवाल पत्नी  
डॉ० रवीन्द्र कुमार गहलोत  
क्वार्टर नं० 03 दिलशाद भवन 69,  
चेतक सर्कल, उदयपुर-313001

विषय:- वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण काल में  
अभिवृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996  
दिनांक 06.04.2017 के द्वारा डॉ० भारती पालीवाल का मेडिकल कॉलेज उदयपुर में वरिष्ठ  
प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर पद पदस्थापन किया गया। नवनियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में  
डॉ० पालीवाल ने प्रार्थना पत्र द्वारा कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 05.10.2017 तक  
अभिवृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि डॉ० भारती पालीवाल को वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी  
के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण काल में दिनांक 05.10.2017 तक की अभिवृद्धि  
करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर  
कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हों।

भवदीय



(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव